न्यायालय, दिनेश कुमार, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सहरसा।

विविध निष्पादन वाद संख्या–10/2024

नूतन देवी, उम्र करीब 32 वर्ष, पति–पिंटू साह
साकिन––ढोली, थाना–बनगॉव, जिला–सहरसा।
हाल पता–पिता–ललन साह, साकिन–भेड़धरी, वार्ड नं0–37, थाना वो जिला–सहरसा। ....आवेदिका

बनाम्

पिंटू कुमार उर्फ पिंटू साह, उम्र करीब 37 वर्ष, पिता–राम विलास साह,
साकिन–ढोली, थाना–बनगॉव, जिला–सहरसा।..............................विपक्षी

23.04.2026 उभय पक्षों की ओर से हाजिरी दी गयी है। विपक्षी की ओर से आवेदिका को बकाया राशि भुगतान रसीद की छाया प्रति दाखिल किया गया है। पुकार पर उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रस्तुत वाद आवेदिका की ओर से मो0 33,000/–(तेतीस हजार) रूपये बकाया राशि वसूली के लिए दाखिल किया गया है। विपक्षी की ओर से दिनांक 23.04.2026 को शपथ पत्र के साथ आवेदन दाखिल कर कहा गया है कि उसने आवेदिका को बकाया राशि प्राप्त करा दिया है। इस वाद को समाप्त करने की प्रार्थना की गयी है।

सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित है। यह वाद आवेदिका नूतन देवी की ओर से विपक्षी से अकाया राशि मो0 33,000/–(तेतीस हजार) रूपया वसूली हेतु दाखिल किया गया है। विपक्षी आवेदन दिनांक 23.04.2026 में किये गये कथनानुसार विपक्षी ने आवेदिका को दावाकृत रकम का भुगतान कर

<u>लगातार</u>

23.04.2026

दिया है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने भी कथन किया है कि दावाकृत रकम का भुगतान आवेदिका प्राप्त कर ली है।

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में यह वाद निष्पादित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

तद्नुसार यह वाद निष्पादित किया जाता है। कार्यालय अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करे।

लेखापित

(दिनेश कुमार)
प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय, सहरसा।